Most Urgent

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28(   )पंरावि/प्रशा.2/स.स.–पंप्रअ/सेवा.निवृत्त/2020/ 47700 जयपुर,दिनांकः 06-01-2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद – समस्त

विषय :– वर्ष 2020 में सेवानिवृत्त होने वाले सहायक सचिव / पंचायत प्रसार अधिकारियों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सहायक सचिव/पंचायत प्रसार अधिकारी का पद अधिनस्थ सेवा का होने से इनके सेवानिवृत्ति आदेश पंचायती राज विभाग से जारी होते हैं।

अतः आपके अधीन पदस्थापित सहायक सचिव/ पंचायत प्रसार अधिकारियों में से वर्ष 2020 में सेवानिवृत्त होने वाले सहायक सचिव/पंचायत प्रसार अधिकारियों के वित्त (नियम) अनुभाग के परिपत्र दिनांक 24.03.2015 के परिशिष्टि ''अ'' (प्रारूप की प्रति संलग्न हैं) के अनुरूप, कार्मिक की **सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ (जहॉ उसका नाम अंकित हो) की प्रमाणित प्रति के साथ**, समुचित इकजाई प्रस्ताव तत्काल भिजवाना सुनिश्चित करावें। ताकि इनके सेवानिवृत्ति आदेश समय पर जारी किये जा सकें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव-II

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर/विकास अधिकारी, पंचायत समिति को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन पदस्थापित कार्मिको के उक्तानुसार इकजाई प्रस्ताव परिशिष्ट–''अ'' के अनुरूप, कार्मिक की सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ (जहॉ उसका नाम अंकित हो) की प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित जिला परिषद के माध्यम से उनके प्रतिहस्ताक्षर सहित भिजवाना सुनिश्चित करावें।
2. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव-II

D:\SSR\Ext.Officers\2020\letter Ext_officers 2020.doc

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट–"अ"
प्रारूप–6
सेवानिवृत्ति आदेश का प्ररूप

नाम कार्यालय ....

कमांक

दिनांकः

:: आदेश ::

श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो पंचायत प्रसार अधिकारी के रूप में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत है, को अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक .... (सेवानिवृति की तारीख) से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित पंचायत प्रसार अधिकारियों के विरूद्ध आज तकः–

(1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

<u>सलंग्नः– कार्मिक की सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ (जहॉ उसका नाम अंकित है) की प्रमाणित प्रति संलग्न है।</u>

नियन्त्रण अधिकारी
जिला परिषद के
प्रतिहस्ताक्षर मय मोहर

कार्यालयाध्यक्ष के
हस्ताक्षर मय मोहर

Scanned by CamScanner